

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास सुनील कुमार झिंगोनियां(आर.ए.एस.)

अशोक वगै० बनाम सुवालाल वगै०

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 77/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू सुनील कुमार झिंगोनियां (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता वादी श्री शम्मी मोहम्मद, अधिवक्ता प्रतिवादी श्री धर्मवीर बामनियां व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरूमिनजामिन मुछ्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि पुस्त पृष्ठ पर विवादित आराजी के विभाजनानुसार पक्षकारान के नाम नामान्तकरण दर्ज करवा कर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।

वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।

वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.05.2025 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....(5).....

ओहदा.....
अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे	अधिकारी
स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	स्टाम्प अर्जी दावा	—	—	भिनाय (अजमेर)
स्टाम्प वकालत नामा	—	—	स्टाम्प वकालत नामा	—	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	महन्ताना वकील	—	—	
महन्ताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—	
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमीशनर	—	—	
फीस कमीशनर	—	—	बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—	
बबत् इजराय हुक्मनामा	—	—				
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—	
मिजान			मिजान			

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, अजमेर
अशोक वर्ग 10 बनाम सुवालाल वर्ग 10
दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का. अधिनियम 1955
मुकदमा नं. 77/2021

उक्त उन्वानी प्रकरण ग्राम गनाहेड़ा पटवार हल्का लामगारा भूअ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अध्ययन-मनन किया गया। किसी भी पक्ष द्वारा कोई अपाति दर्ज नहीं करवायी गई। अतः प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तथा कुल लगान रु. 52.26/- का 15 गुणा 783.9/-रु0 पर वाद पर डिग्री निम्न प्रकार पारित की जाती है।

अशोक कुमार पुत्र शिवराज जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 ओमप्रकाश पुत्र शिवराज जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/2 सा0 देह खातेदार	सुवालाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार	सांवरलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार	अशोक कुमार पुत्र शिवराज जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/6, ओमप्रकाश पुत्र शिवराज जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/6, सुवालाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/3, सांवरलाल पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार
खसरा नं. 252	खसरा नं. 550/1	खसरा नं. 324	खसरा नं. 259
रकबा 0.02	रकबा 0.35	रकबा 0.03	रकबा 0.04
किस्म चाही1 जाव1	किस्म बारानी 3	किस्म बारानी 1	किस्म गौमू0 चाह
253	551	325/2	270
0.02	0.08	0.33	0.06
चाही1 जाव1	बारानी 3	नहरी 1	बारानी 3
503	553/1	326/1	651
0.34	1.02	0.005	0.45
बारानी 3	बारानी 3	बारानी 1	बारानी 3
507	637/1	550/2	652
0.02	1.66	0.44	0.15
बारानी 3	बारानी 3	बारानी 3	बारानी 3
796/2	638/3	553/2	825/1
0.24	0.4225	1.01	0.02
नहरी 1	बारानी 3	बारानी 3	नहरी 1
554	781/2	637/2	326/2
1.00	0.35	1.66	0.005
बारानी 3	नहरी 1	बारानी 3	बारानी 1
327	793/2	638/1	637/4
0.29	0.16	0.70	0.16
नहरी 1	नहरी 1	बारानी 3	बारानी 3
637/3	796/1	643	781/1
1.66	0.09	0.81	0.03
बारानी 3	नहरी 1	बारानी 3	नहरी 1
638/2	637/5	793/1	797
1.645	1.10	0.25	0.05
बारानी 3	बारानी 3	नहरी 1	बारानी 1
कुल किता 9	किता-9	किता-9	किता 8
5.235	5.235	5.235	0.965
लगान रु. 16.81/-	लगान रु. 16.47/-	लगान रु. 16.41/-	लगान रु. 2.57/-

तहसीलदार भिनाय यथा डिग्री अमल दरामद करावें।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)